विधि (6) ।/विविध/जबलपुर/भू.रा/2018/2491

सेवा में,

-1-

चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी,
म.प्र. राजस्व बोर्ड, मोती महल,
ग्वालियर (म.प्र.)

दायरा
डाक से प्राप्त
19/4/18

विषयः- रजिस्ट्री नं. एम.पी. 1825552016ए1454713 दिनांक 29.07.16 में अधिक वसूली गई स्टॉम्प ड्यूटी की वापसी बावत्।

संदर्भः- मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा W.P. No. 17131/2017 में दिनांक 06.04.18 को पारित आदेश के परिपालन में अभ्यावेदन।

मान. महोदय,

निवेदन है कि मेरा नाम किशन लाल तिवारी पिता स्व. श्री मंसाराम तिवारी एवं निवास 592, त्रिमूर्ति नगर, गायत्री मंदिर के पास, जबलपुर है।

महोदय मैंने दिनांक 29.07.16 को श्री राजेश मेहरे पिता श्री भगवत प्रसाद मेहरे, नि. पौंढ़ी (नगना), तह. पनागर, जिला जबलपुर वालों से एक कृषि भूमि जिसका मौजा बिहरिया, प. ह. नं. 75, रा.नि.मं. महाराजपुर, तह. पनागर, जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि में से 1.00 हैक्टेयर कृषि भूमि रु. 20,00,000/- (बीस लाख मात्र) में क्रय की थी।

उक्त कृषि भूमि में कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक प्रति हैक्टेयर रु. 6,50,000/- स्टॉम्प ड्यूटी नियत की गई थी। किन्तु पंजीयन कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना कर उक्त भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन रु. 65,00,000/- हैक्टेयर मानी गई। जिससे मुझे वास्तविक स्टॉम्प ड्यूटी के अनुसार रु. 42,250/- देय के स्थान पर रु. 4,22,500/- पंजीयन कार्यालय द्वारा वसूल किये गये। जो कि सरासर गलत है।

महोदय जी मैंने कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, जबलपुर के सुलभ संदर्भ हेतु उक्त कृषि भूमि की वास्तविक स्टॉम्प ड्यूटी एवं अधिक वसूली गई स्टॉम्प ड्यूटी की गणना निम्नानुसार प्रस्तुत कर दिनांक 16.05.17 को एक अभ्यावेदन पेश किया। जो दिनांक 25.09.17 को अधिकारिता न होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया।

वास्तविक स्टॉम्प ड्यूटी (6,50,000/- की दर से)	स्टॉम्प ड्यूटी देय (20,00,000/- की दर से)	अधिक वसूली गई स्टॉम्प ड्यूटी (65,00,000/- की दर से)
स्टॉम्प 5%- 32,500/-	1,00,000/-	3,25,000/-
जनपद 1% - 6,500/-	20,000/-	65,000/-
उपकर ½%- 3,250/-	10,000/-	32,500/-
कुल - **42,250/-**	1,30,000/-	4,22,500/-

(हस्ताक्षर)

अतः आवेदक ने व्यथित होकर मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष W.P. No. 17131/2017 प्रस्तुत की। जिसमें आपके विभाग द्वारा भी अधिकारिता न होने के आधार पर राशि वापस करने में असमर्थता व्यक्त करते हुये अपना जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि अधिक वसूली गई स्टॉम्प ड्यूटी की राशि वापस करने की अधिकारिता केवल चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, म.प्र. राजस्व बोर्ड, ग्वालियर का ही प्राप्त है। चूंकि आपके योग्य कार्यालय में इस संबंध में निवेदन करने की समय सीमा मात्र तीन माह है। अतः मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आवेदन देने में हुये विलंब को क्षमा करते हुये आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ चार सप्ताह के अंदर निवेदन करने का निर्देश देते हुये दिनांक 06.04.18 को अंतिम आदेश पारित कर दिया।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उपरोक्त गणना के अनुसार मुझसे अधिक वसूली गई स्टॉम्प ड्यूटी वापस भुगतान करने का कष्ट करें। रजि. विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा W.P. No. 17131/2017 में दिनांक 06.04.18 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उचित विनय सेवा में पेश है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

जबलपुर

12.04.2018

आवेदक,

(किशन लाल तिवारी)

592, त्रिमूर्ति नगर,

गायत्री मंदिर के पास,

जबलपुर (म.प्र.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक एक–विविध/जबलपुर/भू.रा./2018/2491

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। आवेदक किशनलाल तिवारी, 592 त्रिमूर्ति नगर, गायत्री मॅंदिर के पास जबलपुर ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा **W.P.No. 17131/2017** में पारित आदेश दिनांक 6–4–18 की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें रजिस्ट्री नं. एम.पी. 1825552016 ए 1454717 दिनांक 29–7–2016 में उनसे अधिक स्टाप्प डयूटी देय होने पर वापिसी की मांग की गई है। 2/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा **W.P.No. 17131/2017** में पारित आदेश दिनांक 6–4–18 में इस प्रकार के निर्देश हैं – **In view of the statement made by the respondents, this petition is disposed of with a direction to the petitioner to file a representation within a period of four weeks, along with the certified copy of this order , before the Chief Controlling Revenue Authority claiming the refud of excess stamp duty paid by him.** माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में आवेदक ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आवेदन में दशाई गई अधिक स्टाम्प डयूटी वापिस करने की मांग की है। 3/ अभ्यावेदन में दशाए गए बिन्दुओं पर पेशी 25–9–18 को आवेदक को एंव वरिष्ठ जिला पंजीयक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ आवेदक ने तर्को में बताया कि कलेक्टर गाईड लायन के मान से प्रति हैक्टर रू. 6,50,000/– की स्टाम्प डयूटी नियत थी किन्तु पंजीयन कार्यालय व्दारा त्रृटिपूर्ण गणना कर कय की गई भूमि की कलेक्टर गाईड लायन 65,00,000/–रू. हैक्टर मानी गई	

है, जिससे वास्तविक स्टाम्प डयूटी के अनुसार 42,500/–रू. के स्थान पर 4,33,500/–रू. पंजीयन कार्यालय व्दारा त्रृटिपूर्ण वसूल किये गये है इसलिये अंतर की स्टाम्प डयूटी की राशि वापिस की जावे।

जिला पंजीयक ने बताया है कि मंगती सूर्यनारायण विरूद्व बोर्ड आफ रेवेन्यू ए.आई.आर. 1976 एम.पी. 50 में निर्धारित किया गया है कि स्टाम्प शुल्क का स्वेच्छा से या भूल से संदाय का प्रकरण इस अधिनियम के अधीन नहीं आता है। यह स्टाम्प अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध के अधीन नहीं आता है जो राजस्व मण्डल को किसी प्रकार स्वेच्छा से या भूल से अधिक संदाय की गई स्टाम्प शुल्क रिफन्ड करने के लिये सशक्त करता हो।

5/ दोनों पक्षों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि आवेदक व्दारा कय की गई भूमि की कलेक्टर गाईड लायन के मान से प्रति हैक्टर रू. 6,50,000/– की स्टाप्प डयूटी नियत थी किन्तु पंजीयन कार्यालय व्दारा आवेदक व्दारा कय की गई भूमि का विकय मूल्य कलेक्टर गाईड लायन 65,00,000/– हैक्टर माना हैं ऐसा आभाषित है कि वास्तविक स्टाम्प डयूटी के अनुसार 42,500/–रू. के स्थान पर आवेदक से 4,33,500/–रू. पंजीयन शुल्क वसूल की गई है।

सुमित कुमार दुबे विरूद्व म0प्र0 राज्य 2015 रा0नि0 17 में माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ने व्यवस्था दी है कि स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 49 (घ) (3) तथा 50(1) में व्यवस्था दी गई है कि खराव हुये स्टाम्प के लिये प्रस्तुत दावे से इंकार नहीं किया जा सकता। खराव हुये स्टाम्प की रकम वापस करने तथा रकम वापिस लेने के लिये आवेदन नामन्जूर नहीं किया जा सकता।

फलतः आवेदक अधिक वसूल की गई स्टाम्प डयूटी वापिस प्राप्त करने का हकदार प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभ्यावेदन स्वीकार

किया जाकर जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला जबलपुर को आदेश दिये जाते हैं कि वह वादग्रस्त विक्रय पत्र के सम्बन्ध में कलेक्टर गाईड लायन के अनुसार स्टाम्प डयूटी की गणना करते हुये आवेदक से अधिक ली गई स्टाम्प डयूटी नियमानुसार वापिस करने की कार्यवाही अमल में लावें।

सदस्य